

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक- 377

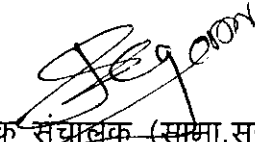
(1) भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना — (1) योजनातर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु के वृद्ध हितग्राहियों को केंद्रांश मद से राशि रुपये 200 तथा राज्यांश मद से रुपये 400 इस प्रकार कुल 600/- रुपये प्रति हितग्राही प्रतिमाह प्रदाय की जा रही है ।

(2) 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को केंद्रांश मद से राशि रुपये 500 तथा राज्यांश मद से रुपये 100 इस प्रकार कुल 600/- रुपये प्रति हितग्राही प्रतिमाह प्रदाय की जा रही है ।

(2) भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना — योजनातर्गत 40 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की विधवा महिलाओं को केंद्रांश मद से राशि रुपये 300 तथा राज्यांश मद से रुपये 300 इस प्रकार कुल 600/- रुपये प्रति हितग्राही प्रतिमाह प्रदाय की जा रही है ।

(3) भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निः शक्त पेंशन योजना — योजनातर्गत 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्त हितग्राहियों को केंद्रांश मद से राशि रुपये 300 तथा राज्यांश मद से रुपये 300 इस प्रकार कुल 600/- रुपये प्रति हितग्राही प्रतिमाह प्रदाय की जा रही है ।

(4) राज्य सरकार की संचालित पेंशन योजना- राज्य शासन द्वारा संचालित पेंशन योजना में समस्त वृद्धजनों कल्याणी (विधवा) परित्यक्ता एवं दिव्यांग हितग्राहियों को राशि रुपये 600/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह राज्यांश मद से पेंशन प्रदाय की जा रही है ।


सहायक संचालक (समा.सहा.)

वास्ते-आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.